विविध बैंक प्रकरण सं0 21/2018 (RCMS 2018/00029) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गोल मार्केट, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) बनाम 1. सूरज ट्रेडिंग कम्पनी (प्रो. राज कुमार गोयल) निवासी प्लॉट नं 115, फेज नं. 03, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गंगयाल, जम्मू 2. राज कुमार गोयल पुत्र जगदीश चंद गोयल निवासी 7-डी-31, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 08.08.2018 सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स सूरज ट्रेडिंग कम्पनी, राज कुमार गोयल को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 100,00,000/-रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ मात्र) दिनांक 23.01.2013 को स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी की सम्पत्ति 1. 100% Hypothecation of stock/spares abd. receivables and all other assets of the firm 2. Triple Story residential house no. 7- d-32 built on land measuring 1210.50 sq.ft. at Jawahar nagar, Sriganganagar rajasthan 3. Commerical shop located on killa no. 02_03 sq. no. 61/49, chak 1 a chotti land measuring 577.50 Sq. ft. ft situated at Sriganganagar Rajasthan प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.08.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 17.01.2018 को 1,06,87,621/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.10.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावूजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पति 1. 100% Hypothecation of stock/spares abd. receivables and all other assets of the firm 2. Triple Story residential house no. 7- d-32 built on land measuring 1210.50 sq.ft. at jawahar nagar, Sriganganagar Rajasthan 3. Commerical shop located on killa no. 02_03 sq. no. 61/49, chak 1 a chotti land measuring 577.50 Sq. ft situated at Sriganganagar Rajasthan का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे। मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मै. सूरज ट्रेडिंग कम्पनी – राज कुमार गोयल को दिनांक 23.01.2013 को ऋण सुविधा के रूप में 1,00,00,000/– (अखरे रूपये एक करोड) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राज कुमार गोयल द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ 1. 100% Hypothecation of stock/spares abd. receivables and all other assets of the firm 2. Triple Story residential house no. 7- d-32 built on land measuring 1210.50 sq.ft. at jawahar nagar, Sriganganagar rajasthan 3. Commerical shop located on killa no. 02_03 sq. no. 61/49, chak 1 a chotti land measuring 577.50 Sq. ft situated at Sriganganagar Rajasthan, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.08.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत **60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.10.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति की पुष्टि पोस्ट ऑफिस के Item Delivery Report (On line Track Consignment) से होती है।**

सा./-
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **चल व अचल सम्पति 1. 100% Hypothecation of stock/spares abd. receivables and all other assets of the firm 2. Triple Story residential house no. 7- d-32 built on land measuring 1210.50 sq.ft. at jawahar nagar, Sriganganagar rajasthan 3. Commerical shop located on killa no. 02_03 sq. no. 61/49, chak 1 a chotti land measuring 577.50 Sq. ft situated at Sriganganagar Rajasthan, जो ऋणी राज कुमार गोयल के नाम से है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ती जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.10.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.10.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. सूरज ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. राज कुमार गोयल, श्री राजकुमार गोयल के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जम्मू का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई चल एवं अचल सम्पत्तियां 1. 100% **Hypothecation of stock/spares abd. receivables and all other assets of the firm 2. Triple Story residential house no. 7- d-32 built on land measuring 1210.50 sq.ft. at jawahar nagar, Sriganganagar rajasthan 3. Commerical shop located on killa no. 02_03 sq. no. 61/49, chak 1 a chotti land measuring 577.50 Sq. ft situated at Sriganganagar Rajasthan,** जो कि ऋणी श्री राज कुमार गोयल के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर